कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा : (क) किसी अवधि में सप्लाई की गई वास्तविक औसतन बिजली सामान्यतः किसी भी बिजलीघर जिसमें परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, की स्थापित क्षमता का प्रतिशत होती है। यह प्रतिशत क्षमता गुणक के नाम से जानी जाती है और यह अलग-अलग वर्षों तथा अलग-अलग यूनिटों में इसलिये अलग-अलग होती है क्योंकि बिजलीघरों को मजबूरन और योजनानुसार बन्द करना पड़ता है, तथा विभिन्न कारणों से उन्हें उनके निर्धारित मानों की तुलना में कम विद्युत स्तर पर चलाना पड़ता है। राजस्थान बिजलीघर के पहले यूनिट को छोड़कर वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे सभी परमाणु बिजली घरों का वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान कुल वार्षिक क्षमता गुणक बिजली की विक्रय दर निर्धारण के समय अपनाये गये 62.8% के वार्षिक मानदंड की तुलना में स्थापित क्षमता का लगभग 60% था।

(ख) राजस्थान, मद्रास और नरोरा की यूनिटों की क्षमताओं को 1465 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता के स्थान पर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मई, 1991 में अनुमोदित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप पुनः निर्धारित कुल स्थापित विद्युत क्षमता 1280 मेगावाट हो जायेगी। मार्च, 1991 में अधिकतम प्राप्य स्थापित क्षमता लगभग 1170 मेगावाट थी।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिण एंड शील्ड में हल्के पानी के रिसाव को यांत्रिक तरीके से बन्द करने के परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने सन् 1987 से इसके प्रचालन विद्युत स्तर को इसकी 220 मेगावाट स्थापित क्षमता की तुलना में 100 मेगावाट तक सीमित कर दिया है। एंड शील्ड को बदलने का काम एक दीर्घकालीन परियोजना है और इसलिये परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस यूनिट की क्षमता को घटाकर 100 मेगावाट करने के लिये अनुमोदन दे दिया है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले और दूसरे यूनिट के माडरेटर इनलेट मेनिफोल्डों के काम करना बन्द कर देने की समस्या को सुलझाने के लिये अंतरिम सुधारों को क्रियान्वित करने के फल-स्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने अक्तूबर/नवम्बर, 1989 से इन दोनों यूनिटों के प्रचालन विद्युत स्तर को इनके पूरे विद्युत स्तर के लगभग 75% तक सीमित कर दिया है। इन यूनिटों को पुनः सामान्य विद्युत स्तरों पर चलाने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को मार्च, 1991 में उसके पूरे विद्युत स्तर के 85% तक विद्युत स्तर पर चलाने के लिये प्राधिकृत किया गया था। बाद में 100% के पूर्ण स्तर पर चलाने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया। बिजलीघर को चलाने में प्राप्त कई वर्षों के अनुभव और प्रणाली के वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर परमाणु ऊर्जा आयोग ने राजस्थान परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट की विद्युत क्षमता को 220 मेगावाट से घटाकर 200 मेगावाट निर्धारित करने तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर और नरोरा परमाणु बिजलीघर के प्रत्येक यूनिट की विद्युत क्षमता को 235 मेगावाट से घटाकर 220 मेगावाट निर्धारित करने के लिये अनुमोदन दे दिया है।

उर्वरकों का औसत उपयोग

627. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले दशक के दौरान उर्वरकों के वार्षिक औसत उपयोग में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वर्ष में देश में उर्वरकों की कुल अनुमानित मांगों का मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की मांग की अनुमानित मात्रा कितनी है और क्या इस मात्रा को स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से प्राप्त किये जाने की संभावना है ;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों की कितनी अनुमानित मात्रा का उत्पादन किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) सरकार ने उर्वरकों की शेष मांग को पूरा करने के लिये क्या योजना बनायी है और इस प्रयोजन हेतु सरकारी अनुमान के अनुसार कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) वर्ष 1981–82 से 1989–90 के बीच देश में उर्वरकों की खपत में वार्षिक समग्र वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत आंकी गयी है ।

(ग) और (घ) वर्तमान संकेतों के आधार पर वर्ष 1991–92 के दौरान देश में उर्वरकों की अनुमानित मांग और उत्पादन निम्न प्रकार है:–

(आंकड़े लाख मी० टन में)

वर्ष		अनुमानित मांग	अनुमानित उत्पादन	अन्तर
1991–92	एन	84.44	72.05	12.39
	पी	36.47	21.00	15.47
	के	14.35	—	14.35
	योग :	135.26	93.05	42.21

(ङ) अनुमानित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये उर्वरकों का आयात किया जाता है । वर्ष 1991–92 के दौरान आयात की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा का अभी पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं हुआ है ।

Programme for improvement of backward areas

628. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether any programme to improve the lot of people in backward areas has been formulated;

(b) if so, details thereof;

(c) whether any steps for implementation of these programmes have been taken so far;

(d) whether any planning for improvement of backward areas of Uttar Pradesh has also been formulated;

(e) if so, details thereof, district-wise, with amount spent for each district as on 31st August, 1991; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (f) The development of an area, the planning and allocation of funds for that purpose is primarily the responsibility of the concerned State